सान्याअवि

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पेलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)(01525)सामा./सान्याअवि/25 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः–वर्ष 2025 जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कारों के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जिला स्तरीय भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार वर्ष–2025 का वितरण किया जायेगा। अतः संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एव दैनिक भास्कर के राजस्थान से प्रकाशित सभी संस्करणों में डी.आई.पी. आर. द्वारा निर्धारित साईज एवं दरों पर प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में भिजवाने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.1(8)(01525)सामा./सान्याअवि/25 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप निदेशक (आई.टी.), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
2. सहायक निदेशक (प्रचार) मुख्यालय को विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु।
3. समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तरीय भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर पुरस्कारों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 43622 दिनांक 24.07.2019 की पालना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 14:22:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13452829

भीम (logo)

सान्याअवि

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)(01525)सामा./सान्याअवि/25 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

विज्ञप्ति

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती (दिनांक 14 अप्रैल, 2025) के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने हैं। इस पुरस्कार में केवल प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा, नकद राशि नहीं दी जायेगी। अतः पुरस्कारों के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव/आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र.सं	पुरस्कार	पात्रता की शर्तें/बिन्दु
1	जिला स्तरीय अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	1. व्यक्ति संबंधित जिले का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3. संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रहे हों। 4. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में संस्था/व्यक्ति की उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो। 5. संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये गये हों।
2	जिला स्तरीय अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार	1. महिला संबंधित जिले की मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3. संस्था/महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो। 4. महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में संस्था/महिला का उल्लेखनीय योगदान रहा हो। 5. संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किये गये हों।
3	जिला स्तरीय अम्बेडकर न्याय पुरस्कार	1. अधिवक्ता संबंधित जिले का मूल निवासी हो। 2. जिला कलक्टर तथा जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। (प्रत्येक का पृथक्–पृथक् प्रमाण पत्र) 3. अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, जिला न्यायालय निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी की गई हो। ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुए प्रभाव। 4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

नोटः–आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15.03.2025 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। गत वर्षों में पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नहीं करें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in एवं जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संबंधित जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 14:22:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13452829

272

क्रमांक :–एफ.18( )अम्बे.पुर./सामान्य/सान्याअवि/2019/ 43622 जयपुर, दिनांक 24/02/2019

अम्बेडकर जिला स्तरीय पुरस्कार योजना के दिशा निर्देश

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.18( )अम्बे/सान्याअवि/207/6269 दिनांक 7.2.2008 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अम्बेडकर महिला पुरस्कार, अम्बेडकर न्याय पुरस्कार तथा अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है।

इसी परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जिला स्तर पर उक्त चारों पुरस्कार अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अम्बेडकर महिला पुरस्कार, अम्बेडकर न्याय पुरस्कार तथा अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार देने का निर्णय किया है। इस पुरस्कार में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के द्वारा योग्य व्यक्ति/संस्था को 14 अप्रेल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा। इसमें कोई नकद राशि देय नही है। पुरस्कार के चयन के लिये जिला स्तर पर चयन के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नांनुसार समिति का गठन किया जाता है:–

जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)	सदस्य
महिला एवं वाल विकास विभाग का जिलाधिकारी	सदस्य
उप/सहायक निदेशक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के द्वारा निम्नानुसार पुरस्कार हेतु पात्रता रखने वाले व्यक्ति अथवा संस्था का चयन किया जायेगा:–

पुरस्कार का नाम	योग्यता
अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	1. व्यक्ति जिले का मूल निवासी हो/संस्थान जिले में पंजीकृत हो। 2. उप जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र प्रमाण पत्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र। 3. संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो। 4. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुचाने में उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो। 5. संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वंय के स्त्रोंतो से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।

273

बेडकर महिला पुरस्कार	1. महिला जिले की मूल निवासी हो/संस्था जिले में पंजीकृत हो। 2. उप जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र प्रमाण पत्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र। 3. संस्था/महिला कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो। 4. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुचाने में उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो। 5. संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वंय के स्त्रोंतो से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।
अम्बेडकर न्याय पुरस्कार	1. जिले का मूल निवासी हो। 2. जिला कलक्टर एवं जिला सैंशन न्यायाधीश द्वारा उच्च चरित्र प्रमाण पत्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र। 3. अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनरथ, उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी की हो ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों सें हुये प्रभाव। 4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमो में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।
अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार	1. जिले का मूल निवासी हो। 2. राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की कक्षा 10 एवं 12वीं की परीक्षा में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्गो में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 1–1 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष में कक्षा 10 के 2 तथा कक्षा 12वीं के 6 कुल 8 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया जायेगा।

उक्त पुरस्कार में केवल जिला स्तर पर प्रशस्ति पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से वर्ष 14 अप्रेल को अम्बेडकर जयन्ती के दिन दिया जायेगा। कोई नकद राशि नही दी जायेगी।

पुरस्कार सीमा :– एक व्यक्ति/संस्था को अपने जीवन काल में जिला स्तर पर केवल एक ही बार अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा परन्तु यह शर्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों पर लागू नही होगी जो कक्षा 12वीं में भी सर्वोच्च अंक प्राप्त करते है। जिस व्यक्ति या संस्था को 15 अगस्त/26 जनवरी पर जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है उसे अम्बेडकर पुंरस्कार से सम्मानित नही किया जायेगा।

पुरस्कार दिये जाने की तिथि व स्थान :- ये पुरस्कार प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयन्ती पर दिये जायेंगे तथा स्थान का निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला कलक्टर से चर्चा कर जयन्ती मनाये जाने से पूर्व किया जाकर समाचार पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्तियो/संस्थाओं एवं आमजन को सूचित किया जायेंगा।

इन पुरस्कारों में यदि किसी प्रतिष्ठित संस्था/व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के कल्याण में संलग्न हो और आवेदन नही किया हो तो जिला स्तरीय समिति स्वंय के स्तर से भी उन्हे अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने की पात्रता को दृष्टिगत रखते हुऐं पुरुस्कृत करने का निर्णय ले सकेगी।

इन पुरस्कारों के दिये जाने की प्रारम्भ से अन्त तक की प्रक्रिया में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.18( )अम्बे.पुर./सामान्य/सान्याअवि/2019/43623-725 जयपुर, दिनांक 24/07/2019

प्रतिलिपिःनिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. संभागीय आयुक्त,..................................
7. समस्त जिला कलेक्टर,
8. निजी सचिव ,प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
10. निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, मानसरोवर, जयपुर।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
14. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,............................
15. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास।
16. संयुक्त निदेशक(आई.टी),मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।
17. आदेश पत्रावली।

(सांवरमल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव